निर्गत शाखा
17/4/26

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 16.04.2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of Mithanpura Chowk to Imli Chowk Road in Km. 0.00 to 1.33 for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026 एवं पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अनिल कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–24.03.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही जो उपभागीय ज्ञापांक–1004 दिनांक–24.03.2026 द्वारा संसूचित है में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1090(अनु०) दिनांक–06.04.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–06.04.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening work of Mithanpura Chowk to Imli Chowk Road in Km. 0.00 to 1.33 for the year 2025-26
2.2	योजना मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹1445.07 लाख। विभागीय ज्ञापांक–6180(एस०) दिनांक–11.07.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹1691.84 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–2958 दिनांक–12.09.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹1609.22694 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	12 (Twelve) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	30.01.2026

2.10 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। प्रथम बार दिनांक–24.09.2025 आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप विभागीय ज्ञापांक–871(E) दिनांक–05.02.2026 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

3. विषयांकित पुनर्निविदा में निम्नलिखित 04 (चार) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) Singh Const. Pvt. Ltd. (2) Sona Infracon Pvt. Ltd.

(3) Shree Edifice Roadworks Pvt. Ltd. (4) M/s R.S. Construction

4. उपभागीय ज्ञापांक–1004 दिनांक–24.03.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–24.03.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में दो निविदाकार यथा (1) Sona Infracon Pvt. Ltd. एवं (2) Singh Const. Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल एवं शेष दो निविदाकार यथा (1) M/s R.S. Construction को SBD के ITB Cl. 4-2(iv), Cl. 4-7, Cl. 4.8 एवं NIT के कंडिका–27 के तहत असफल एवं (2) Shree Edifice Roadworks Pvt. Ltd. को SBD-ITB- Cl. 4.5(A)(a), Cl. 4.5(A)(b), 4.5(A)(c), Cl. 4.7 एवं Cl.- 4.8, के तहत् तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विभागीय निदेश के अनुसार दो कार्य दिवस में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोलने हेतु निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–1004 दिनांक–24.03.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–24.03.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के संदर्भ में विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में दोनों सफल निविदाकार यथा (1) Sona Infracon Pvt. Ltd. के पत्रांक–MD/SIPL/2025-26/358 दिनांक–25.03.2026 एवं (2) Singh Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक–SCPL/2025-26/93 दिनांक–30.03.2026 द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1090(अनु०) दिनांक–06.04.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक–06.04.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में सफल निविदाकार Sona Infracon Pvt. Ltd. के पत्रांक–MD/SIPL/2025-26/358 दिनांक– 25.03.2026 एवं Singh Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक–SCPL/2025-26/93 दिनांक–30.03.2026 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परिवाद दिया गया है।

परिवाद :–

	परिवाद	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय / अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1.	**Sona Infracon Pvt. Ltd. से प्राप्त परिवाद :–** 1. Singh Construction Private Limited के विरूद्ध परिवाद– उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि मेरी कंपनी सोना इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल संख्या–1, मुजफ्फरपुर अंतर्गत कार्य–मिठनपुरा चौक से इमली चौक पथ के कि0मी0 0.00 से 1.330 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के पुनर्निविदा में भाग लिया गया था। उक्त निविदा में तकनीकी बीड मूल्यांकन हेतु दिनांक–24.03.2026 को भवदीय के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। उपरोक्त बैठक की कार्रवाही में निविदाकार Singh Construction Private Limited की निविदा को तकनीकी रूप से सफल घोषित किया गया है। जबकि विश्वस्त एवं पुख्ता सबूतों के आधार पर मिली जानकारी से उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों में निम्नलिखित गंभीर त्रुटियाँ एवं अपूर्णताएँ पाई गई है, जो निविदा शर्तों (SBD/ITB एवं NIT) का स्पष्ट उल्लंघन है। (A) Singh Construction Private Limited :- 1. Litigation History: निविदाकार Singh Construction Private Limited द्वारा प्रस्तुत Litigation History में वाद संख्या–CR. MISC.-63569/2025 एवं वाद संख्या–MJC-	परिवाद प्राप्त होने के उपरांत Patna High Court के website के द्वारा MJC-2460/2025 वाद को Search किया गया जिसमें Petitioner Singh Construction Pvt. Ltd. के द्वारा दिनांक–15.07.2025 को Case File किया गया है जिसमे Respondent Govt. of Bihar है। CR. MISC-63569/2025 वाद को Search किया गया जिसमें Petitioner Singh Construction @ Shailesh Singh द्वारा दिनांक–30.06.2025 को Case file किया गया है जिसमें Respondent Govt. of Bihar है। इसकी उत्पत्ति Complaint Case No. 10/2010 से ही हुआ है, जो वर्तमान में लंबित है। Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा Litigation History NIL दर्शाया गया है जिसे निविदा के साथ upload किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी Sona Infracon Pvt. Ltd. से प्राप्त परिवाद मान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	2460/2025, जो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है, एवं Complaint Case No.10/2010. जो अभी तक माननीय S.D.J.M. शिवहर के न्यायालय में लंबित है, जिसका उल्लेख Litigation History मे नहीं किया गया है। वाद संख्या MJC-2460/2025 जो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है, जिसमें यह उल्लेखनीय है कि निविदाकार स्वयं माननीय उच्च न्यायालय में भुगतान संबंधी विवाद में संलिप्त है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसके कार्य निष्पादन एवं वित्तीय लेन–देन से संबंधित गंभीर विवाद लंबित है। ऐसी स्थिति में उक्त निविदाकार की वित्तीय स्थिरता एवं संविदात्मक दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन पर संदेह उत्पन्न होता है, जो निविदा प्रक्रिया में उसकी पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर तथ्य है कि निविदाकार के प्रतिनिधि एवं कंपनी के डायरेक्टर के रूप में श्री शैलेश सिंह के विरूद्ध लंबित आपराधिक वाद (Complaint Case No. 10/2010, न्यायालय–माननीय S.D.J.M., शिवहर) में (i) गैर–जमानती वांट (NBW) निर्गत किया जा चुका है, (ii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, (iii) उन्हे माननीय न्यायालय द्वारा "Absconder" घोषित किया गया है, (iv) एवं, उनके विरूद्ध स्थायी वारंट जारी करने का आदेश परित किया गया है। उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निविदाकार न केवल न्यायालयीय आदेशों की अवहेलना कर रहे है, बल्कि विधिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास कर रहे है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के अन्तर्गत कार्यवाही यह दर्शाती है कि		

	अभियुक्त न्यायालय से फरार (Absconder) है तथा उनकी संपत्ति कंपनी की सम्पत्ती तक कुर्क/जब्त किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब निविदाकार स्वयं न्यायालय के समक्ष फरारी घोषित किये गए है, तो अगर यह कार्य उन्हें आवंटित किया जाता है तो वह कार्य का समुचित एवं समयबद्ध निष्पादन किस प्रकार करेंगे। अतः ऐसा निविदाकार न तो विश्वसनीय है और न ही 'Fit and Proper Contractor' माना जा सकता है। यह SBD के Clause 4.3 (i) एवं अन्य का उल्लंघन है।		
	2. Board Resolution: निविदाकार Singh Construction Private Limited द्वारा प्रस्तुत Board Resolution में किसी विशिष्ट कार्य का नाम एवं NIT Number का उल्लेख नहीं किया गया है, जो अनिवार्य है, जबकि इन्हे Power of Attorney के जगह Board Resolution लगाने के लिए निविदा में सफल किया गया है। यह SBD Clause 4.2 (iv) एवं NIT Clause 27 का उल्लंघन है।	Singh Construction Pvt. Ltd. एक Limited Company है जिसमें तीन Director है। दिनांक–28.01.2026 को Company के Board of Resolution के द्वारा Shailesh Kumar Singh (Managing Director) को निविदा हेतु अधिकृत किया गया है, जो निविदा के साथ Upload किया गया है। जिसके आधार पर निविदा हेतु मान्य किया गया। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	परिवादी द्वारा CWJC No.-7952/2024 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में Power of Attorney की अनिवार्यता बताई गई है। समीक्षोपरान्त् पाया गया कि उक्त वाद EPC कार्य से संबंधित है, जिसमें Appendix-III के रूप में Power of Attorney देने की अनिवार्यता है। विषयक निविदा SBD आधारित है। SBD के ITB-Cl.4.2(iv) में Power of Attorney if any का प्रावधान है।

	3. Power of Attorney: निविदाकार Singh Construction Private Limited द्वारा Power of Attorney जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य दस्तावेज को संलग्न नहीं किया जाना, निविदा की मूल शर्त्तें का घोर उल्लघन है। SBD Clause 4.2 (iv) एवं NIT Clause 27 के अन्तर्गत Power of Attorney का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, क्यों कि यही दस्तावेज बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को निविदा की शर्तों से बाध्य करता है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या CWJC-7952 of 2024 में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि Power of Attorney एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो निविदाकार को NIT एवं SBD की शर्तों से बाध्य करता है, तथा इसकी त्रुटि अथवा अनुपस्थिति निविदा को गंभीर रूप से दोषपूर्ण बनाती है। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि निविदा शर्तों का कठोर अनुपालन आवश्यक है तथा Power of Attorney में किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि को साधारण त्रुटि नहीं माना जा सकता, बल्कि यह निविदा की वैधता को ही प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, इसी निविदा प्रक्रिया में इस निविदा के एक निविदाकार R.S Construction को ठीक इसी तरह के मामले (Power of Attorney) पर तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा चुका है। इसिलिय Singh Construction Pvt. Ltd. निविदा प्रक्रिया सफल घोषित करना SBD Clause 4.2 (iv) एवं NIT Clause 27 का उल्लंघन है।		अर्थात् Power of Attorney रहने की स्थिति में निविदाकार द्वारा इसे निविदा में Upload करने की अनिवार्यता है। Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा Board Resolution निविदा में संलग्न किया गया है, जिसमें एक Director Shailesh Kumar Singh को Document Sign करने के लिए Authorize किया गया है। परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।

	4. Existing Commitment and Ongoing Works: निविदाकार Singh Construction Private Limited द्वारा Bid Capacity में Existing Commitment and ongoing works की राशि– 35,14,86,204 रूपये दर्शायी गयी है, जबकि Existing Commitment and ongoing works के प्रमाणपत्र में Engineer-in-Charge का लगाया गया प्रमाणपत्र में Existing Commitment and ongoing works की कुल राशि 1,07,17,67,772 रूपये होती है। इस तरह इनके द्वारा निविदा में गलत जानकारी दिया गया है, जो SBD कि कंडिका 4.7 एवं 4.8 का उल्लंघन है। उक्त सभी तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि– निविदाकार ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, निविदा शर्तों का उल्लंघन किया है, एवं उनके विरूद्ध गंभीर आपराधिक कार्यवाही लंबित है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि निविदाकार Singh Construction Private Limited निविदा की शर्तों को पूर्ण नहीं करती है, इसलिए इन्हें तकनीकी रूप से सफल घोषित किया जाना नियमों के विरूद्ध है।	तकनीकी बीड के मूल्यांकन में SBD- ITB Cl.- 4.7 के तहत Bid Capacity के गणना में Singh Construction Pvt. Ltd. का Existing Commitment ₹10750.50 लाख है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	Singh Const. Pvt. Ltd. द्वारा स्वयं के Bid Capacity की गणना में Existing Commitment त्रुटिपूर्ण बताया गया है। परन्तु इनके द्वारा Existing Commitment से संबंधित Engineer-in-Charge का प्रमाण–पत्र निविदा में संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार इनका Existing Commitment Rs. 10750.50 लाख है। इस Existing Commitment के आधार पर इनका Bid Capacity Rs. 6968.43 लाख है, जो वाँछित अर्हत्ता से अधिक है। परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।

	(B) Shree Edifice Road Works Pvt. Ltd. निविदाकार Shree Edifice Road Works Pvt. Ltd. के द्वारा बिड कैपेसिटी में "B" का वैल्यू 0.00 लिया गया है, जबकि इनके Existing Commitment and ongoing works में कुल 5,32,52,182.00 रूपये का कार्य लंबित दिख रहा है। इस तरह इनके द्वारा SBD कि कंडिका 4.7 एवं 4.8 का उल्लंघन किया जा रहा है।	तकनीकी बीड के मूल्यांकन में SBD- ITB Cl.- 4.7 के तहत Shree Edifice Road Works Pvt. Ltd. का Existing Commitment ₹532.52 लाख लिया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
	(C) Shree Edifice Road Works Pvt. Ltd.: निविदाकार R.S. Construction के द्वारा Existing Commitment and ongoing works में पथ प्रमंडल, ढ़ाका का 1682.45 लाख रूपये को नहीं दर्शाया गया है। जो SBD कि कंडिका 4.7 एवं 4.8 का उल्लंघन है। अतः भवदीय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर पुनः विचार करते हुए उपरोक्त निविदा के निविदाकार Singh Construction Private Limited, Shree Edific Road Works Pvt. Ltd. एवं R.S. Construction की तकनीकी निविदा का पुनर्मूल्यांकन करते हुए निविदाकारों को तकनीकी निविदा में असफल करने की कृपा करेंगे।	तकनीकी बीड के मूल्यांकन में पथ प्रमंडल, ढ़ाका अन्तर्गत कार्य का Existing Commitment ₹1682.45 लाख शामिल किया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	यह परिवाद R.S. Construction से संबंधित है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
2.	**Singh Construction Pvt. Ltd.** से प्राप्त परिवाद :– 1. **Sona Infracon Pvt. Ltd.** के विरूद्ध परिवाद– उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में एक संवेदक Sona Infracon Pvt. Ltd के द्वारा पथ निर्माण	Sona Infracon Pvt. Ltd. द्वारा Uploaded सात कार्यों के Existing Commitment में चार कार्य के Existing Commitment certificate संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा हस्ताक्षरित है। शेष तीन कार्यों में Agreement NIL	Sona Infracon Pvt. Ltd. द्वारा सात कार्यों का Existing Commitment निविदा में दर्शाया गया है। इनमें से तीन कार्यों का Existing Commitment से

	विभाग, पथ प्रमण्डल संख्या–1, अंतर्गत, मुजफ्फरपुर अंतर्गत मीठनपुरा चौक से इमली चौक तक पथ के कि0मी0 0.00 से 1.330 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के पुनर्निविदा में भाग लिया गया है, जिसमें तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के दिनांक–24.03.2026 की बैठक में उन्हें योग्य घोषित किया गया है। इस संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि उनके द्वारा समर्पित निविदा के कागजातों का अवलोकन करना चाहेंगे, उनके द्वारा बीड मूल्यांकन में पथ निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक–7930 दिनांक–26.11.2025 द्वारा मार्ग दर्शक निर्गत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि– ''उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि SBD अंतर्गत आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन में Existing Commitments SBD के SBD के Clause ITB 4.7 के Note में निम्न प्रावधान है। 1. Existing Commitment and ongoing Work:- "The Statements showing the value of existing commitments and on-going Works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed should be countersigned by the Engineer in charge not below the rank of an Executive Engineer or equivalent.". प्रायः देखा जा रहा है कि SBD के अन्तर्गत आमंत्रित निविदा में Existing Commitments हेतु संवेदक द्वारा Engineer in charge (Executive Engineer or equivalent) से बिना प्रतिहस्ताक्षरित कराये गये प्रति को upload कर दिया जाता है, जिससे तकनीकी बीड मूल्यांकन के दौरान	दर्शाया गया है फलस्वरूप तीनों परियोजनाओं की कुल राशि को Existing Commitment में बीड मूल्यांकन के दौरान जोड़ लिया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	संबंधित प्रमाण–पत्र निविदा में Uploaded है। एक कार्य का 1st on A/C Bill निविदा में Uploaded है, जो संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित है, जिससे इनके द्वारा दर्शाया गया Existing Commitment सत्यापित हो जाता है। शेष तीन कार्यों का एकरारनामा संपादित नहीं है। अर्थात् ये तीनों कार्य Ongoing नहीं है। Sona Infracon Pvt. Ltd. द्वारा इन तीनों कार्यों के कुल राशि को Existing Commitment के रूप में दर्शाया गया है। परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।

	कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है। अतः निदेश दिया जाता है कि SBD अन्तर्गत आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन में Each of the work listed in Existing Commitments वही मान्य होगा, जो Engineer in charge (Executive Engineer or equivalent) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। (अनुलग्नक)। परन्तु Sona Infracon Pvt. Ltd. द्वारा Existing Commitments and ongoing works के संबंध में दिये गये कागजातों पर इसका अनुपालन नहीं किया गया है, जो उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देश के विपरीत है। उक्त के आलोक में उनका निविदा विचारणीय नहीं होना चाहिए।		
	2. **Litigation History Past to Tender :–** निविदाकार Sona Infracon Pvt. Ltd. के द्वारा पूर्व में पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दरभंगा में दो निविदा दिया गया था जिसमें Sona Infracon Pvt. Ltd. को कार्य आवंटन हो गया परन्तु निविदाकार के द्वारा अनुबंध (Agreement) नहीं किया गया जो कि SBD के Clause ITB 34.2 का उल्लंघन है जिसके कारण निविदाकार का अग्रघन राशि (EMD) पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दरभंगा के द्वारा जब्ती (Forfeiture) कर लिया गया है जो निम्नलिखित है।	**2.** Litigation History के रूप में Sona Infracon Pvt. Ltd. द्वारा Litigation History का सूची Upload किया गया है, परिवादी द्वारा अंकित दोनों कार्य क्रमशः CWJC No.-7252/2025 (Sl. No.-1) एवं CWJC No.- 6506/2025 (Sl. No.-2) से संबंधित है, जो निविदा के साथ Upload किया गया है। दोनों वाद वर्तमान में लंबित है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	परिवादी द्वारा परिवाद में वर्णित दोनों कार्य Sona Infracon Pvt. Ltd. को आवंटित है, जिसका एकरारनामा संपन्न नहीं हुआ है। इससे संबंधित मामले माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-7252/2025 एवं 6506/2025 के रूप में लंबित है। CWJC No.-7252/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–17.09.2025 को न्यायादेश पारित है कि

Sl.	Tender ID No.	Tender Ref. No.	Description of work
1.	84194	RCD/DBG/04/ 2024-25 on state SBD	Balance work of W/S of Baheri PWD Road Jhajhari Chowk to Sirua via Bhachhi Ujaina Road from Km. 0.00 to 9.41 Total Length 9.41 Km In Baheri Block under RCD Road Division Darbhanga for the year 2024-25
2.	66748	Retender RCD/DBG/03/ 2024-25 on state SBD	W/s work of Ashok Paper Mill to Bideshwarasthan Road NH-57 via Fekla, Chikni from Ch. 0+000 Km to Ch. 11+335 Km total Length 11.335 Km under RCD Road Division Darbhanga for the year 2023-24

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए उपरोक्त निविदा के निविदाकार Sona Infracon Pvt. Ltd. की तकनीकी निविदा का पुर्नमूल्यांकन करते हुए निविदाकार को तकनीकी निविदा में अयोग्य घोषित करने की कृपा की जाय।

"Respondent are directed not to take any coercive steps against the petitioner"

CWJC No.-6506/2025 एवं 6507/2025 में दिनांक–21.08.2025 को न्यायादेश पारित किया गया है कि The Respondents are directed not to forfeit the bid security amount, if not already forfeited.

Sona Infracon Pvt. Ltd. द्वारा उक्त दोनों वाद को निविदा में Litigation History में दर्शाया गया है।

परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।

7. **<u>परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–</u>**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त उपभागीय ज्ञपांक–1004 दिनांक–24.03.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–24.03.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को Sona Infracon Pvt. Ltd. एवं Singh Construction Pvt. Ltd. से प्राप्त परिवाद के आलोक में संशोधित करते हुए विषयांकित पुनर्निविदा में पूर्व में सफल घोषित निविदाकार Singh Const. Pvt. Ltd. को SBD के ITB-Cl. 4.3 (j) एवं 4.8 के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

(1) M/s R.S. Construction को SBD के ITB Cl. 4.2 (iv), Cl. 4.7, Cl. 4.8 एवं NIT के कंडिका–27 के तहत एवं (2) Shree Edifice Roadworks Pvt. Ltd. को SBD के ITB-Cl. 4.5 (A) (a), Cl. 4.5 (A) (b), 4.5 (A) (c), Cl. 4.7 एवं Cl.- 4.8 के तहत् तकनीकी बीड में असफल एवं (3) Sona Infracon Pvt. Ltd. को सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है। पुनर्निविदा में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम–163 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के ऊपर प्राधिकार से अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

8. परिवाद समिति का निर्णय :–

(i) विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार यथा **Sona Infracon Pvt. Ltd.** के पत्रांक–**MD/SIPL/2025-26/358** दिनांक–**25.03.2026** द्वारा पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार यथा **Singh Construction Pvt. Ltd.** के विरूद्ध दिए गए परिवाद को मान्य किया जाता है एवं पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार यथा **Singh Construction Pvt. Ltd.** के पत्रांक–**SCPL/2025-26/93** दिनांक–**30.03.206** द्वारा **Sona Infracon Pvt. Ltd.** के विरूद्ध दिए गए परिवाद को अमान्य किया जाता है।

(ii) **Singh Const. Pvt. Ltd.** को **SBD** के **ITB-Cl. 4.3 (j)** एवं **4.8** के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित किया जाता है।

(iii) एकल निविदाकार यथा **Sona Infracon Pvt. Ltd.** को बिहार लोक निर्माण संहिता–**163(3)** के तहत् पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जाता है। तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक–**1004** दिनांक–**24.03.2026** द्वारा संसूचित दिनांक–**24.03.2026** को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.2 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

16/04/26

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,
उत्तर, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

16/4/26

(राजेश कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता, संविदा
प्रबंधन, नीतिगत मामले
एवं लेखा परीक्षा,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

16/04/26

(अनिल कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख
(मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

16/04/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–228/2025 2586 (E) पटना, दिनांक 17/4/26

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/04/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।